रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2013] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 2016/श्रावण 20, 1938
No. 2013] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 2016/SRAVANA 20, 1938

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2016

का.आ. 2692(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा, उक्त खण्ड के उद्देश्यों के लिए अर्थात् हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा सरकार द्वारा गठित एक निकाय है, को उक्त बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्

(क) केन्द्र सरकार से अनुदान ;

(ख) राज्य सरकार से अनुदान ;

(ग) हरियाणा राज्य में उद्योग की स्थापना के लिए अनुमति देने हेतु सहमति ।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी, कि:- ''हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड'' :-

(क) कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा;

(ख) पूरे वित्तीय वर्षों में क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (छ) के प्रावधानों के अनुसार अपनी आयकर विवरणी दायर किया करेगा।

3. इस अधिसूचना को वित्तीय वर्ष 2014-15 तक की अवधि के लिए लागू किया गया माना जाएगा और यह वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए भी लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 69 /2016/फा .सं.196/ 33 /2014-आईटीए-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक